118

खंड - VIII : पुरस्कार दिया जाना

1. पुरस्कार, जहां तक संभव है, नई दिल्ली में प्रति वर्ष मार्च माह में किसी दिन आयोजित विशेष समारोह में दिया जाएगा ।
2. पुरस्कार की राशि के अतिरिक्त प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा ।
3. पुरस्कार विजेता को अपना पुरस्कार प्राप्त करने और पुरस्कार के लिए स्वीकृत कार्य से संबंधित विषय पर एकत्र व्यक्तियों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ।
4. **पुरस्कार राशि का भुगतान :** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय खाते में देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के माध्यम से पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार की राशि का भुगतान करेगा ।
5. **पुरस्कार को अस्वीकार करना :** पुरस्कार की घोषणा से पूर्व भावी पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता अथवा संस्थान की सहमति सुनिश्चित की जाएगी । तथापि, ऐसी सहमति प्राप्त हो जाने के पश्चात् यदि कोई पुरस्कार लौटाता है, तो पुरस्कार राशि तत्काल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को लौटा दी जाएगी । यदि कोई पुरस्कार को स्वीकार करता है लेकिन वैधता अवधि के भीतर राशि उसके खाते में नहीं आ जाती है, तो यह राशि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को वापस चली जाएगी ।

11/-